निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

सार्वजनिक सूचना

समय-समय पर संशोधित हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के अनुपालन में हरियाणा राज्य में सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों (किसी भी बोर्ड के साथ संबद्ध) को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2017-18 हेतु ठीक 30 दिसंबर 2016 तक सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को हार्डकॉपी एवं निदेशालय को सरकारी वेबसाइट **www.schooleducationharyana.gov.in** पर इस संबंध में उपलब्ध एक लिंक द्वारा अथवा एमआईएस पोर्टल अर्थात **hryedumis.gov.in** पर ऑनलाइन छात्र प्रवेश हेतु उन्हें प्रदान किए लॉग-इन में फार्म-6 ऑनलाइन जमा कराएं। यदि वे निदेशालय/ डीईओ को ऑनलाइन फार्म-6 जमा कराने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ सम्बंधित अधिनियम अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी तथा 2016-17 के फार्म-6 में दिए अनुसार फीस स्ट्रक्चर प्रचलित रहेगा। ऐसे सभी स्कूलों को फिर से निर्देश दिया जाता है कि छात्रों से कोई शुल्क/ फण्ड जो हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए नियमों में स्वीकार्य नहीं है, वसूल न करें।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

44631